بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

DeenSahih Lecture Summary

किताब अत-तौहीद के चुनिंदा अध्याय।

तीसरा बयान: शिर्क के कार्य - अल्लाह के अलावा किसी से शरण माँगना और आह्वान (पुकारना) करना।

शनिवार, 01 अक्टूबर 2023

वक्ता: शेख अब्दुल इलाह लहमामी

शिर्क के कार्य - अल्लाह के अलावा किसी से शरण माँगना और आह्वान (पुकारना) करना।

१. सुरक्षा या शरण मांगना उपासना (इबादत) है, और इसे अल्लाह के अलावा किसी और से मांगना शिर्क है।
२. केवल अल्लाह से शरण मांगना तौहीद का हिस्सा है, जैसे कि अल्लाह की शरण मांगना, शैतान से।
३. इसका सबूत सूरह अन-नम्ल [२७], आयत ६२ है - "**या वो है, जो व्याकुल की प्रार्थना सुनता है, जब उसे पुकारे और दूर करता है दुःख तथा तुम्हें बनाता है धरती का अधिकारी, क्या कोई पूज्य है अल्लाह के साथ? तुम बहुत कम ही शिक्षा ग्रहण करते हो**" ।
४. यह (शरण माँगना) अलग अलग प्रकार की मदद पर लागू होता है, जैसे कोई बीमार हो तो वह उपचार के लिये अल्लाह कि ओर मुड़ें।
५. सुरक्षा का आह्वान जिन्न, मृत् या तावीज़ के माध्यम से नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा सिर्फ अल्लाह की ओर से है, इसलिए मात्र उसकी ओर ही मुड़ना चाहिए।
६. इसी तरह भलाई की माँग भी उसी से ही होनी चाहिए।
७. सूरह अल-फलक़ और सूरह अन-नास भी यह साबित करते हैं कि शरण केवल अल्लाह से ही मांगनी चाहिए।
८. सूरह अन नहल, आयत ९८ - "**तो (हे नबी!) जब आप क़ुर्आन का अध्ययन करें, तो धिक्कारे हुए शैतान से अललाह की शरण माँग लिया करें।**" सूरह अल-आराफ़, आयत २०० - "**और यदि शैतान आपको उकसाये, तो अल्लाह से शरण माँगिये। निःसंदेह वह सबकुछ सुनने-जानने वाला है।**" यह साबित करता है कि हमें सिर्फ़ अल्लाह से ही शरण मांगने का आदेश है।
९. सूरह अल-जिन्न, आयत ६ - "**और वास्तविक्ता ये है कि मनुष्य में से कुछ लोग, शरण माँगते थे जिन्नों में से कुछ लोगों की, तो उन्होंने अधिक कर दिया उनके गर्व को**"। यह इस तथ्य को बताता है कि कुफ़्फ़ार जब एक घाटी से गुज़रते तो उस घाटी के अज़ीज़

(जिन्न) से शरण माँगते। लेकिन अल्लाह ने ये उल्लेख किया है कि ऐसा करने से उनके भय में वृद्धि होगी और उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं होता।

१०. सूरह अल-जिन्न में आगे आयत ८ में - "**तथा हमने स्पर्श किया आकाश को, तो पाया कि भर दिया गया है प्रहरियों तथा उल्काओं से**" इस बारे में विवरण है कि अल्लाह ने फ़रिश्तों और उल्काओं द्वारा स्वर्ग को दानवों से बचाया है, जो उससे जानकारी चुराने की कोशिश करते हैं। और इसी तरह अल्लाह धरती को अपने दानवों से अहलुस्-सन्नाह द्वारा बचाता है।

११. जिन्न अल्लाह की रचना हैं, उनमें से वो भी हैं जो सदाचारी हैं और वो भी हैं जो दुष्कर्मी हैं। और उन्हें भी हमारी तरह सिर्फ़ अल्लाह की पूजा करने का आदेश है।

१२. शरण या सुरक्षा माँगने के तरीक़ों में से है की जब किसी स्थान पर रुकें या निवास मे प्रवेश करें तो कहना "أَعوذُ بِكَلِماتِ اللهِ التّامّاتِ مِنْ شَرّ ما خَلَق" - मैं शरण चाहता हूँ अल्लाह के पूर्ण शब्दों के साथ, उस बुराई से जो उसने बनायी है। यहाँ हम शरण माँग रहे हैं अल्लाह के गुणों के साथ, और उसकी बोली उसके गुणों में से है। और हदीस में आया है कि जो भी इस दुआ को कहेगा, उसे उस स्थान से बाहर जाने तक कोई हानि नहीं पहुँचा सकता।

१३. और पिछले बिंदु में यह भी सबूत है कि क़ुरआन निर्मित नहीं है, क्योंकि आप किसी बनाई गई चीज़ से शरण नहीं ले सकते क्योंकि शरण लेना एक उपासना का रूप है।

१४. सुरक्षा अल्लाह की ओर से है, इसलिए हमें उसपर विश्वास और आस्था रखनी चाहिए क्योंकि वह सभी सृष्टि से श्रेष्ठ है और वह हमारे लिए पर्याप्त है।

१५. सूरह अल-जिन्न, आयत २०, २१ और २२ में इसकी अधिक पुष्टि होती है कि शरण और सुरक्षा केवल अल्लाह के साथ है, क्योंकि रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) भी अपनी ओर से किसी को हानि या लाभ नहीं पहुंचा सकते।

१६. अल्लाह उन इमान वालों का पालक और संरक्षक है जो तौहीद और नेकनीयती पर हैं,। इसका सबूत सूरह यूनुस, आयत ६२ और आयत ६३ में है। "**सुनो! जो अल्लाह के मित्र हैं, न उन्हें कोई भय होगा और न वे उदासीन होंगे।**" और "**जो ईमान लाये तथा अल्लाह से डरते रहे।**"

१७. किसी चीज़ से हानि का भय रखना भी उपासना है और यह सिर्फ़ अल्लाह के लिए होना चाहिए। यह भय स्वाभाविक भय से अलग है, जो किसी शेर या उसके समान चीज़ों से होता है।

१८. कुछ लोग कमज़ोर चीज़ों से शरण माँगते हैं, जैसे जो कब्रों में हैं, जबकि वास्तव में उनको (जो कब्रों में हैं) ज़िंदा लोगों की प्रार्थनाओं की आवश्यकता है, क्योंकि वह अपने सिर के ऊपर की मिट्टी भी हिला नहीं सकते।

१९. मृत अप्रतिबंधित रूप से सुन नहीं सकते। अल्लाह ने इसका उल्लेख सूरह फातिर आयत २२ में किया है - "**और आप नहीं सुना सकते उन्हें, जो क़ब्रों में हों।**" । उन्हें सिर्फ़ उसी समय सुनाई दे सकता है जिसका सुन्नाह में उल्लेख किया गया हैं। जैसे की कब्रिस्तान मे जब कीसी व्यक्ति को दफन किया जाता है, और लोग उसके लिए दुआ करते हैं तो वह उसे सून सकता है।

२०. अल्लाह कुरआन में सूरह मरियम, आयत ८१ और ८२ में कहता है - "**तथा उन्होंने बना लिए हैं अल्लाह के सिवा बहुत-से पूज्य, ताकि वे उनके सहायक हों। ऐसा कदापि नहीं होगा, वे सब इसकी पूजा (उपासना) का अस्वीकार कर देंगे और उनके विरोधी हो जायेंगे।**" इसका अर्थ है कि जो कुछ अल्लाह के अलावा शरण के लिए पुकारा गया था, वो क़यामत के दिन उनही लोगों के विरुद्ध हो जाएगा जिन्होंने ऐसा किया था।

२१. हमें जादू, नज़र, ईर्ष्या आदि से अल्लाह की सुरक्षा की आवश्यकता है। इस सुरक्षा की प्राप्ति के लिए कुछ विशिष्ट प्रार्थनाएँ होती हैं, जिन्हें हमें याद करना चाहिए और उनका अभ्यास सुबह-शाम और घर से बाहर जाते समय करना चाहिए। और जो इमान वाले इनका अभ्यास करते हैं, उन्हें शैतान या और किसी के द्वारा हानि नहीं होती क्योंकि उन्होंने अल्लाह की सुरक्षा प्राप्त की है।

२२. अल्लाह से सुरक्षा मांगना और फिर भरोसा रखना, विधायी साधनों के उपयोग को नहीं नकारता, उदाहरण के लिए जैसे मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) युद्ध में जाते समय कवच पहना करते थे।

ऑडियो लिंक: https://www.deensahih.com/wp-content/uploads/2023/10/chapter-13-acts-of-polytheism-seeking-refuge-with-anyone-besides-allah-and-invoking-anyone-besides-him-shaykh-abdulIlah-lahmami.mp3